न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी (जिला डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी :– श्री हुक्मीचन्द रोहलानिया, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 92/2022 **GCMS 2022/184**

वादी

1. सूरजमल पुत्र रामलाल जाति रेगर निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. अमराराम पुत्र बींजाराम
2. चूनाराम पुत्र कामड़राम
3. जैसाराम पुत्र कामड़राम
4. परमाराम पुत्र कामड़राम
5. बिरदाराम पुत्र चौथूराम (फौत) वारिस भंवरलाल पुत्र बिरदाराम
6. मोहनराम पुत्र भैरा
7. रामेश्वरी देवी पत्नि कामड़राम जाति मेघवाल निवासीगण मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी
8. भंवरीदेवी पत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी अजीतपुरा तहसील नावां
9. मंगली देवी पत्नि रामलाल जाति रेगर निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी
10. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा कुचामनसिटी
11. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा कुचामनसिटी
12. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा :– इस्तकरार हक भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 R.T.Act 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री अखिल मोदी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 10 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 05/04/2024

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2024/553 दिनॉक 12.03.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 23.01.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में वकील वादी ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 16.10.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी [illegible] निम्न प्रकार से है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

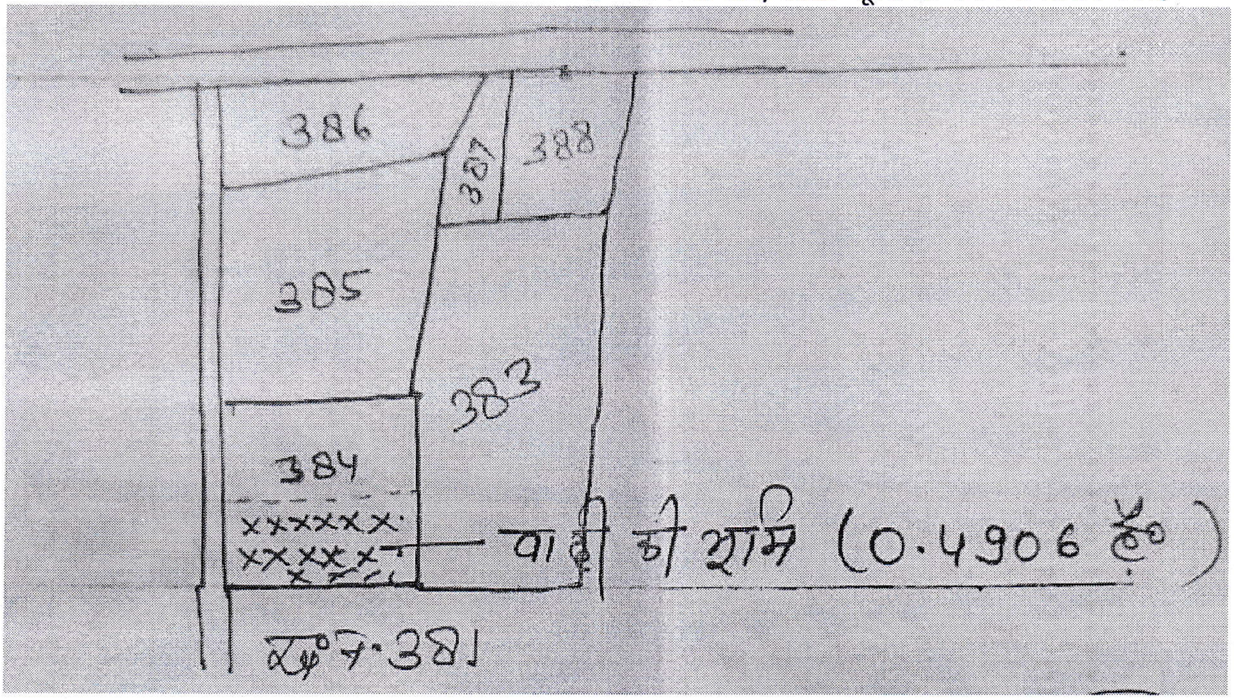

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा 383, 384, 385, 386, 387, 388 का नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट में बनाया गया है तथा मौका स्थिति व उपस्थित पक्षकारान व पड़ौसियों द्वारा बताये अनुसार वादी का खसरा नम्बर 384 में 0.4906 हैटर पर कब्जा काश्त है। शेष खसरा रकबा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 संयुक्त रूप से काबिज है। वादी का कब्जा काश्त नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी में खसरा नम्बर 383, 384, 385, 386, 387, 388 कुल रकबा 7.85 हैक्टर खसरा नम्बर 384 रकबा 1.00 हैक्टर में से 0.4906 हैक्टर पर नजरी नक्शा अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खसरान एवं रकबा में से वादी का नाम हटाया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 23.01.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचाम[illegible] को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 05/04/24 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

(हुक्मीचन्द रोहलानिया,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी (जिला डीडवाना–कुचामन) राज.

बइजलास : मनोज (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 92/2022 **GCMS 2022/184**

वादी

1. सूरजमल पुत्र रामलाल जाति रेगर निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अमराराम पुत्र बींजाराम
2. चूनाराम पुत्र कामड़राम
3. जैसाराम पुत्र कामड़राम
4. परमाराम पुत्र कामड़राम
5. बिरदाराम पुत्र चौथूराम (फौत) वारिस भंवरलाल पुत्र बिरदाराम
6. मोहनराम पुत्र भैरा
7. रामेश्वरी देवी पत्नि कामड़राम जाति मेघवाल निवासीगण मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी
8. भंवरीदेवी पत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी अजीतपुरा तहसील नावां
9. मंगली देवी पत्नि रामलाल जाति रेगर निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी
10. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा कुचामनसिटी
11. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा कुचामनसिटी
12. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा :– इस्तकरार हक भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू अखिल मोदी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी में खसरा नम्बर 383, 384, 385, 386, 387, 388 कुल रकबा 7.85 हैक्टर खसरा नम्बर 384 रकबा 1.00 हैक्टर में से 0.4906 हैक्टर पर नजरी नक्शा अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खसरान एवं रकबा में से वादी का नाम हटाया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 23.01.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05 माह 04 सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी (जिला डीडवाना–कुचामन)

क्रमांक/कोर्ट/2024/82 दिनॉकः– 12.04.2024

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 92/2022 **GCMS 2022/184** सूरजमल बनाम अमराराम वगैरह में पारित अंतिम डिक्री आदेश की पालना बाबत।

-x-x-x-x-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के र राजस्व प्रकरण वाद सं. 92/2022 **GCMS 2022/184** सूरजमल बनाम अमराराम वगैरह में पारित अंतिम डिक्री आदेश की पालना हेतु प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) — सत्यमेव जयते)

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज0)

क्रमांक / भू–अ. / 2024 / 553 दिनांक :– 12-03-2024

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व वाद सं. 92 / 2022 सुरजमल बनाम अमराराम वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के कार्यालय पत्रांक कोर्ट / 2023 / 225 दिनांक 16.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 92 / 2022 सुरजमल बनाम अमराराम वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष, भू.अ.नि. मण्डावरा व पटवारी हल्का मण्डावरा की उपस्थिति में तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं महेन्द्र सिंह मुंड (नाम) तहसीलदार कुचामन, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक/कोर्ट/223/225 दिनांक 16.10.23 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 23.01.24 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर- 383,384,385,386,387,388 वाके ग्राम मण्डावरा पटवार हल्का मण्डावरा .... पर श्री जोगेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 92/2022 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक — दिनांक — द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
(1)	सूरजमल	रामलाल		रैगर	वादी
(2)	परमाराम	थोबूराम		मेघवाल	प्रतिवादी
(3)	भंवरलाल	बिरदाराम		मेघवाल	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

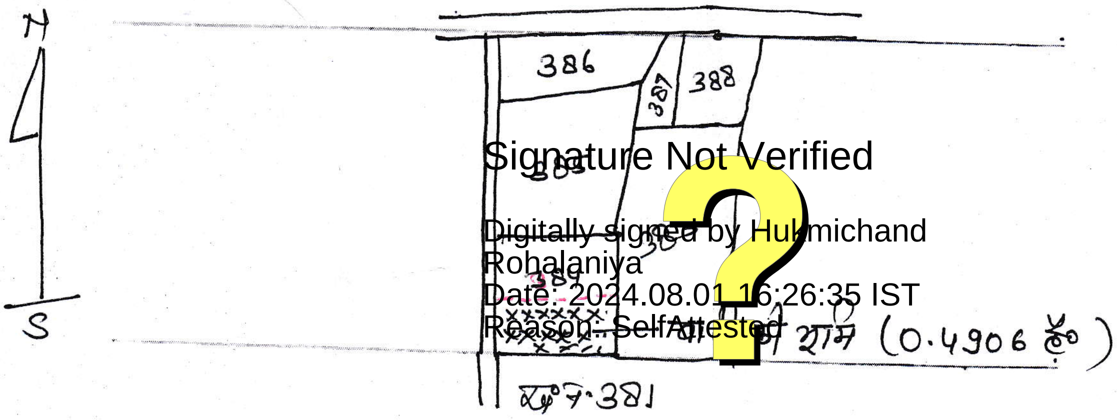

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
सूरजमल
भंवरलाल परमाराम

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
(1)	सूरजमल	रामलाल	रैगर	सूरजमल	वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
(1)	परमाराम	चौथूराम	60	मेघवाल	प्रतिवादी
(2)	मंगलाल	बिरदाराम		मेघवाल	प्रतिवादी

परमाराम
मंगलाल

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/. मोबाईल नं..
(1)	अमरचन्द	लिखमाराम	45	जाट	मण्डावरी
(2)	रामेश्वरलाल	~~अमरचन्द~~ बाडूराम	44	बावरी	मण्डावरी

अमरचन्द

इस प्रकार आज दिनांक 23.01.24 को यह [illegible] रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं.	वृत.. मण्डावरी	....	....

तहसीलदार (भू.अ.) झुन्झुनू सिटी